सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 142/2016 राजस्व वाद

1. मंगतूराम पुत्र श्री छुट्टन (मृतक)

1/1– हुकमचन्द

1/2– चन्दनलाल

1/3– कैलाश चन्द

1/4– स्वरूप

1/5– मोहनश्याम पुत्रगण मंगतूराम

1/6– श्रीमती साबो पत्नी मंगतूराम

2. चतुर्भुज

3. प्रेमचन्द पिस0 सन्तू जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

1. भुल्लीराम पुत्र कमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील डीग
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा
88–89 आर.टी.एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

निर्णय दिनांक :– 03.04.2018

वादीगण ने यह दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 3465/0.07 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग में स्थित है। साबिक आराजी ख0नं0 3466/0–9 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग का हिस्सा 1/2 वादीगण सं0 1 तथा वादीगण सं0 2 व 3 के पिता सन्तू का व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 वादीगण सं0 1 के ताऊ तथा वादीगण सं0 2 व 3 के बाबा नंदली पुत्र परमा की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वादीगण सं0 1 तथा वादीगण सं0 2 व 3 के पिता सन्तू व उक्त नंदली का कब्जा वहैसियत खातेदार पूर्वजों के समय से चला आ रहा था। सम्वत् 2028 के आस–पास वादीगण के ताऊ व बाबा उक्त नंदली पुत्र परमा की लाबल्द विला औरत मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद से वादीगण सं0 1 तथा वादीगण सं0 2 व 3 का पिता सन्तू व0हि0ब0 1/2, 1/2 हिस्से उक्त आराजी पर काबिज वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो गये तथा कुछ वर्ष पूर्व वादीगण सं0 2 व 3 के पिता सन्तू की भी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद से वादी सं0 2 व 3 उसके हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 काबिज बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इस समय मौके पर भी है। हाल बन्दोबस्त में साबिक ख0नं0 3466/0–9 से नवीन विवादित ख0नं0 3465/0.07 हैक्टे0 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग को बनाया गया है जिस पर मुताबिक साबिक वादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 पर तथा वादी सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 कब्जा वहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है और आज भी मौके पर मौजूद है। प्रतिवादीगण सं0 1 का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा है और ना कभी प्रतिवादीगण सं0 1 का कोई कब्जा उक्त विवादित आराजी पर पहले कभी था और ना अब है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून तथा खिलाफ साबिक रिकॉर्ड साबिक ख0नं0 3466/0–9 बीघा के बदले में बनाये गये नवीन विवादित आराजी ख0नं0 3465/0.07 को बजाय वादीगण के नाम दर्ज करने के कतई गलत तरीके पर प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों को इस प्रकार से इन्द्राज काश्त बदलने का कोई अधिकार किसी प्रकार से नहीं था बल्कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को दोहराना मात्र होता है तथा बन्दोबस्त कर्मचारियों को मुताबिक साबिक इन्द्राजात विवादित आराजी ख0नं0 3465/0.07 को वादीगण के नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करना चाहिए था। प्रतिवादीगण सं0 1 का विवादित आराजी से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 बहुत ही चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है जिसने बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों से नाजायज साजकर कतई गलत तरीके पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। अतः ख0नं0 3465/0.17 हैक्टे0 के हिस्सा 1/2 का वादी संख्या 1 तथा हिस्सा 1/2 के वादीगण संख्या 2 व 3 व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहा है उसे कलमजन किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी के कब्जेकाश्त वादीगण में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत न करें।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन जवाब हेतु तलब किया गया। दावा के सुनवाई के दौरान वादी संख्या 1 मंगतू की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को बतौर वादीगण पक्षकार बनाये गये। प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला समन उपस्थित अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपनें दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श पी.1 व सम्वत् 2012–2015 प्रदर्श पी.2 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.3 एवं साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 प्रदर्श पी.4 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में वादी प्रेमचन्द ने अपना बयान पी.डब्ल्यू.1 एवं गवाह नूरू के बयान पी.डब्ल्यू.2 दर्ज कराकर अपनी मौखिक साक्ष्य पूर्ण की।

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि साबिक ख0नं0 3466/0–9 बाकै ग्राम नगला खोह के हिस्सा 1/2 पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 व 3 के पिता सन्तू का व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 वादी संख्या 1 के ताऊ तथा वादी

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

संख्या 2 व 3 के बाबा नंदली की खुदकाश्त खातेदारी का था। जिस पर वादीगण सं0 1 तथा वादीगण सं0 2 व 3 के पिता सन्तू व उक्त नंदली का कब्जा वहैसियत खातेदार पूर्वजों के समय से चला आ रहा था। सम्वत् 2028 के आस–पास वादीगण के ताऊ व बाबा उक्त नंदली पुत्र परमा की लाबल्द विला औरत मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद से वादीगण सं0 1 तथा वादीगण सं0 2 व 3 का पिता सन्तू व0हि0ब0 1/2, 1/2 हिस्से उक्त आराजी पर काबिज वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हो गये तथा कुछ वर्ष पूर्व वादीगण सं0 2 व 3 के पिता सन्तू की भी मृत्यु हो गई है। जिसके बाद से वादी सं0 2 व 3 उसके हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 काबिज बतौर खातेदार काश्त करते चले आ रहे हैं तथा इस समय मौके पर भी है। हाल बन्दोबस्त में साबिक ख0नं0 3466/0–9 से नवीन विवादित ख0नं0 3465/0.07 हैक्टे0 बाकै ग्राम नगला खोह तहसील डीग को बनाया गया है जिस पर मुताबिक साबिक वादी सं0 1 का हिस्सा 1/2 पर तथा वादी सं0 2 व 3 का हिस्सा 1/2 पर व0हि0ब0 कब्जा वहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है और आज भी मौके पर मौजूद है। प्रतिवादीगण सं0 1 का उक्त विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा है और ना कभी प्रतिवादीगण सं0 1 का कोई कब्जा उक्त विवादित आराजी पर पहले कभी था और ना अब है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून तथा खिलाफ साबिक रिकॉर्ड साबिक ख0नं0 3466/0–9 बीघा के बदले में बनाये गये नवीन विवादित आराजी ख0नं0 3465/0.07 को बजाय वादीगण के नाम दर्ज करने के कतई गलत तरीके पर प्रतिवादीगण सं0 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया है। जिसे कलमजन कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे।

विद्वान वकील वादीगण की बहस पर हमने मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का एवं वादपत्र के तथ्यों को अवलोकन किया। वादपत्र के कथन की पुष्टि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 के खाता संख्या 146/1973 की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 3466 रकबा 9 विस्वा पर अन्य मजकूर नम्बरान के साथ खुदकाश्त नंदली 1/2 मंगतू व सन्तू व0हि0ब0 1/2 हिस्सेदारान दर्ज थे। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2040 के मुताबिक साबिक ख0नं0 3466/0–9

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

बीघा से नवीन ख0नं0 3465/0.07 हैक्टे0 बनाया गया है। वादपत्र की मद संख्या 3 में वादीगण के ताऊ व बाबा नंदली को लाबल्द विला औरत मृत्यु होना वर्णित किया है। इसकी पुष्टि में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक ख0नं0 3466/0–9 बीघा पर अन्य मजकूरान नम्बरान पर वादी मंगतू व वादी संख्या 2 व 3 सन्तू व0हि0ब0 खातेदार जरिये इ.नं. 482 दर्ज हैं। मगर हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 324 में बन्दोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी आदेश व अधिकार के वादीगण के साबिक आराजी से बने नवीन ख0नं0 3465/0.07 हैक्टे0 पर प्रतिवादी भुल्ली की खातेदारी में गलत इन्द्राज किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा प्रतिवादीगण बावजूद इत्तला के उपस्थित अदालत आकर वादीगण के दावे के संबंध में कोई विरोध एवं असहमति प्रकट नहीं की है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी भुल्ली को वादीगण के दावे को स्वीकर करने में परोक्ष रूप से सहमति है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्यनजर वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि –

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण दावा साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी 3465/0.07 हैक्टे0 बाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग के हिस्सा 1/2 पर वादीगण 1/1 लगायत 1/6 व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 व 3 को व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जोकश्त में मजामहत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 03.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर)डीग(भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0स0 142/2016 राजस्व वाद

1. मंगतूराम पुत्र श्री छुट्टन (मृतक)

1/1– हुकमचन्द, 1/2– चन्दनलाल, 1/3– कैलाश चन्द, 1/4– स्वरूप

1/5– मोहनश्याम पुत्रगण मंगतूराम

1/6– श्रीमती साबो पत्नी मंगतूराम

2. चतुर्भुज

3. प्रेमचन्द पिस0 सन्तू जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग

——वादीगण

बनाम

1. भुल्लीराम पुत्र कमल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नगला खोह तहसील डीग
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील डीग
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खोह तहसील डीग जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय

——प्रतिवादीगण

दावा बावत् उद्घोषणा अन्तर्गत धारा
88–89 आर.टी.एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादीगण दावा साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी 3465/0.07 हैक्टे0 बाके ग्राम नगला खोह तहसील डीग के हिस्सा 1/2 पर वादीगण 1/1 लगायत 1/6 व0हि0ब0 तथा शेष हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 2 व 3 को व0हि0ब0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादीगण को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जोकश्त में मजामहत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज .....मुवलिंग.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर.....को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसखा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 03.04.18 03/04/2018 माह.....सन्.....को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

मीजान	रूपया	पैसे	मुद्दालय	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील)पर		
महनताना वकील)पर			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	2				
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.